विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा नामशः 'अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने की योजनाएं' तथा अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर अधिक व्यय, आयकर एवं उस पर ब्याज का परिहार्य भुगतान, ब्याज का परिहार्य भुगतान एवं अनुपयोग पड़ीं अवसंरचना आदि से संबंधित ₹ 264.29 करोड़ के वित्तीय आशय के 10 पैराग्राफ हैं।

प्रतिवेदन में वर्णित कुछ प्रमुख निष्कर्षों को नीचे सारांशीकृत किया जा रहा है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

शहरी विकास विभाग

अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति एवं सीवरेज सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाएँ

निष्पादन लेखापरीक्षा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली "अनाधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना" एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना" नामक दो योजनाओं का विवरण देती है जिसके लिए सहायता अनुदान के रूप में धनराशि शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैः-

शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना पूँजीगत सम्पत्ति के विकास के लिए प्राप्त सहायता अनुदान को अनियमित रूप से परिवर्तित किया गया एवं दूसरे उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.6)

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा परिकल्पित सभी 1,797 अनाधिकृत कॉलोनियों में दिसम्बर 2018 तक पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान करने की रणनीति की योजना के अभाव में, 2013-18 के दौरान केवल 353 अनाधिकृत कॉलोनियों में पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति की गई थी एवं मार्च 2018 तक 567 अनाधिकृत कॉलोनियाँ अभी भी टयूबवैल/हैंडपंपो पर निर्भर थीं एवं उनके पीने योग्य पानी की जरुरतों के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल आपूर्ति पानी के टैंकरो से की गई थी।

(पैराग्राफ 2.1.7)

मंडलों द्वारा पानी एवं सीवर की पाइप लाइन बिछाने का कार्य असमन्वित तरीके से नियोजित एवं कार्यान्वित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप किया गया व्यय निष्फल रहा एवं इच्छित लाभ प्राप्त नहीं हो सके थे।

(पैराग्राफ 2.1.7.1 एवं 2.1.8.1)

दिल्ली-2031 के लिए सीवरेज मास्टर प्लान के चरण-1 के 34 निर्माण कार्यों को 2016 तक पूरा किया जाना था परंतु जुलाई 2018 तक केवल 11 निर्माण कार्य पूरे किए गए थे एवं 20 निर्माण कार्य प्रगति पर थे तथा तीन अभी भी पूर्व-निष्पादन स्तर में थे। मार्च 2018 तक 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1573 अनाधिकृत कॉलोनियों (88 *प्रतिशत*) में सीवरेज सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थी एवं इन 1573 अनाधिकृत

कॉलोनियों से निकला गंदा पानी एवं कूड़ा-करकट पानी की नालियों में बह गया एवं अपने अनुपचारित रूप में अंततः यमुना नदी में मिल गया।

(पैराग्राफ 2.1.8)

दिल्ली जल बोर्ड ने वन विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित भूमि पर स्थित अनाधिकृत कॉलोनियों में जल आपूर्ति एवं सीवर लाइन के निर्माण कार्यों की योजना बनाई तथा उनका निष्पादन किया, जोकि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास निर्माण कार्यों के लिए शहरी विकास विभाग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

(पैराग्राफ 2.1.7.2 एवं 2.1.8.2)

प्राक्कलनों के बनाने एवं उनके अनुमोदन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने एवं निष्पादन में विलंब, अयोग्य बोलीकर्ताओं का चयन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाने में कमियाँ थीं।

(पैराग्राफ 2.1.9 एवं 2.1.10)

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले कुल 657 पानी के टैंकरों में से 250 टैंकरों (38 *प्रतिशत*) को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल टैंकर वितरण प्रबंधन प्रणाली परियोजना के अंतर्गत निर्धारित निगरानी उपकरण जैसे कि जीपीएस, जल स्तर मीटर/प्रवाह मीटर/क्लोरीन मीटर आदि के बिना संचालित किया गया।

(पैराग्राफ 2.1.11)

अनुपालन लेखापरीक्षा

बैंक से ₹ 61 लाख की गैर-वसूली

बैंक से अनाधिकृत भुगतान की वसूली करने में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 61 लाख की राशि की सरकारी खाते में भरपाई नहीं हुई। विभाग को ₹ 12 लाख के ब्याज का नुकसान भी हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

₹ 1.39 करोड़ के संविदा का अनियमित प्रदत्तन

न्यूनतम सेवा शुल्क मानदंड पर आधारित निविदाओं की अस्वीकृति जिसे जीएफआर प्रावधानों और सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निविदाओं की प्राप्ति के पश्चात तथा सेवा कर की गलत गणना के आधार पर, जो कि एक वैधानिक कर है तथा वास्तविकता के अनुसार देय है, अपनाया गया था, ने निविदा प्रणाली की विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया तथा ₹ 1.39 करोड़ की राशि के संविदा के अनियमित प्रदत्तन का कारण बना।

(पैराग्राफ 3.2)

अतिरिक्त गार्डों की तैनाती पर ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

सरकारी आदेशों/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में आउटसोर्स सुरक्षा गार्डों को अधिक संख्या में रखा जाना, जिसके कारण ₹ 1.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा विज्ञापन

पीएसयू द्वारा उनके वर्गीकृत विज्ञापनों को प्रशासनिक विभागों से न गुजारने के परिणामस्वरूप डीएवीपी दरों का लाभ न लेना; तथा परियोजना की अनुमानित लागत को देखते हुए, एक परियोजना के शिलान्यास समारोह के विज्ञापन पर उनके अनुमानित लागत की तुलना में अधिक व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 3.4)

₹ 49.13 करोड़ के आयकर का परिहार्य भुगतान एवं उस पर ₹ 48.51 करोड़ का ब्याज

अपनी अनिवार्य गतिविधियों के लिए अपनी आय के अल्प उपयोग और समय पर कर का भुगतान न करने के कारण दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड को ₹ 97.64 करोड़ की राशि का आयकर व ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा जिसे अन्यथा कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए था, इसके अतिरिक्त, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अति आवश्यक सामाजिक सुरक्षा और अन्य कल्याण उपायों से वंचित रखा गया।

(पैराग्राफ 3.5)

अनुपूरक अधिनिर्णय के जारी करने में विलंब के परिणास्वरूप ₹ 2.03 करोड़ का व्यय परिहार्य ब्याज भुगतान के रूप में हुआ

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में भूमि मालिकों को समय पर मुआवजे प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन करने में विलंब हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.07 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ एवं ₹ 181.84 लाख की ब्याज देयता तय हुई।

(पैराग्राफ 3.6)

वृद्धाश्रम का पूरा न होना और निर्माण हेतु समय विस्तार के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 1.30 करोड़ का परिहार्य भुगतान

रोहिणी वृद्धाश्रम के लिए ड्राइंग और डिजाईन में बारंबार संशोधन के कारण भूमि अधिग्रहण के 21 वर्ष बाद भी वृद्धाश्रम सिर्फ टेंडरिंग स्टेज पर ही है। कांतिनगर वृद्धाश्रम के मामले में, कार्यकारी एजेंसियों के बारंबार बदलाव के कारण भूमि के अधिग्रहण के 12 वर्ष बाद भी वृद्धाश्रम कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। विलंब के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को ₹ 130.14 लाख के संरचना शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ और इसके अलावा वृद्धाश्रम में ठहरने के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा से दिल्ली के बुजुर्ग वंचित रह गए।

(पैराग्राफ 3.7)

शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं के अंर्तगत किफायती आवास परियोजनाएं (बीएसयूपी) -जेएनएनयूआरएम

केंद्रीय योजना "जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)" का उपमिशन "शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं (बीएसयूपी)" में शहरी गरीबों हेतु किफायती आवास परियोजनाओं का एक घटक था। प्रारंभ में यह योजना सात वर्षों की अवधि 2005-06 से 2011-12 के लिए थी। तथापि, इसका विस्तार उन परियोजनाओं के पूर्ण होने हेतु 31 मार्च 2017 तक किया गया, जिसकी संस्वीकृति मार्च 2012 तक दी गई थी।

आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसके स्वयं की अवधारणा के चरण से ही योजना की कमी के कारण प्रभावित रहा, क्योंकि डीएसआईआईडीसी व डीयूएसआईबी की सभी 14 आवासीय परियोजनाएं दिल्ली के केवल चार जिलों तक सीमित थीं यहाँ तक कि 675 लक्षित झुग्गी झोपड़ी समूह में से 461 दिल्ली के शेष सात जिलों में थी। इसके अलावा, छोटे समूहों के बजाय जो कि पूरी दिल्ली में फैले हों बड़ी संख्या की निवास इकाइयों वाली आवास परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी।

डीएसआईआईडीसी एवं डीयूएसआईबी ने 52,344 निवास इकाइयों की 14 आवासीय परियोजनाओं को क्रियान्वित किया परन्तु इन 14 परियोजनाओं में से 24,000 निवास इकाइयों की चार परियोजनाएं योजना की समाप्ति के एक वर्ष बाद भी अपूर्ण रहीं, परिणामस्वरूप इन चार परियोजनाओं पर ₹ 755.26 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

इसके अतिरिक्त, जीएनसीटी दिल्ली केवल 5,483 लाभार्थियों की पहचान कर सका जिसमें से केवल 1,864 लाभार्थियों को अगस्त 2018 तक योजना के अंतर्गत निर्मित निवास इकाइयों में पुनर्वासित किया गया। इस प्रकार, लाभार्थियों की विलंब से पहचान के कारण ₹ 1,101.36 करोड़ की लागत पर जून 2018 तक निर्मित 28,344 निवास इकाइयों में से 90 *प्रतिशत* से अधिक बिना आवंटित, खाली और खराब होने की स्थिति में पड़ीं थीं।

योजना का उद्देश्य योजना के प्रारंभ होने के 10 वर्ष बाद एवं इसके बंद होने के एक वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं हुआ। यह मुख्यतः परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कमी और लाभार्थियों की पहचान की खराब प्रगति के कारण हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपकरणों, वस्तुओं और सामग्रियों की खरीद में अनियमितताएं और कमियाँ

योजना के तहत उपकरणों की खरीद में कमियाँ जिनमें कार्यान्वयन एजेंसियों को फंड जारी करने में विलंब, ट्रकों, टिपरों इत्यादि को भाड़े पर रखने हेतु पूँजीगत अनुदान का प्रयोग, सामग्रियों के रखने हेतु स्थान की उपलब्धता को सुनिश्चित किये बिना आदेश देना, आवश्यक 10 *प्रतिशत* राशि को रोके बिना अग्रिम के रूप में पूरे भुगतान को जारी करने के कारण निधियों का अवरोधन, सामग्रियों की देरी से या कम आपूर्ति एवं उनकी डिलीवरी के बाद ट्रक चेसिस के निर्माण में देरी के मामले में ₹ 0.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति शुल्क की गैर-वसूली आदि शामिल हैं।

(पैराग्राफ 3.9)

कामकाजी महिलाओं को किफायती एवं सुरक्षित आवास से वंचित रखना एवं ₹ 97.53 लाख की राशि को अवरुद्ध रखना

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भूमि का कब्जा लेने के 16 वर्ष के उपरांत (दिसम्बर 2002) भी कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल का निर्माण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 97.53 लाख राशि अवरुद्ध हो गई साथ में अनेक कामकाजी महिलाएं एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं किफायती होस्टल सुविधा से वंचित रहीं।

(पैराग्राफ 3.10)